Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan
Mob. 8709372511   Email. shyamshankarp2407@gmail.com

PDF NOTE FOR BA Hons. Part-I

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मे लोक निर्णय.

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप है, जिसमे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य मे भाग लेती है। इस तरह के प्रजातंत्र के उदाहरण भारत, चीन, यूनान एवं रोम मे भी देखने को मिलते है। प्राचीन काल मे सीमित जनसंख्या और आवश्यकताओं के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था संभव थी। लेकिन वर्तमान युग जनसंख्या की अधिकता तथा आवश्यकताओं की बाढ़ के कारण अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था कठिन हो गई है। फिर भी स्विटजरलैंड के कुछ कैन्टनों और संयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण आज भी है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्न रूप है।

1. जनमत संग्रह — जनमत संग्रह का अर्थ यह है कि विधानमंडल द्वारा पास किया हुआ विधेयक जनता के बहुमत के द्वारा स्वीकार किये जाने पर ही कानून का ~~कानून~~ रूप धारण कर सकता है। अर्थात इसके प्रश्नों में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप देने से पूर्व जनता का मत जाना जाता है।

2. आरंभन Initiative — इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं की एक निश्चित जनसंख्या किसी खास विषय पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल से आवेदन कर सकता है। इसे जनता का अधिकार कहा जाता है इसके द्वारा एक निश्चित जनसंख्या विधानमंडल को किसी विषय पर कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती है।

3. प्रत्यावर्तन (Recall) यह भी जनता का अधिकार है इसके द्वारा आवेदन पत्र देकर किसी सरकारी कर्मचारी या निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

५. लोक निर्णय (Plebiscite) — लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मत लिया जा सकता है। मुख्य रूप से इस साधन का प्रयोग राजनीतिक अधिकारों, संविधान के स्वरूप आदि से संबंधित विषयों में किया जाता है।

लोक निर्णय अथवा रेफरेन्डम किसी कानून अथवा निर्णय को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने को लिख किया है। लोक निर्णय दो प्रकार की होती है- अनिवार्य और ऐच्छिक। जिन राज्यों में अथवा जिस कानून के विषय में ऐसी व्यवस्था होती है कि कानून क्रियान्वित होने से पहले जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है तो इसे अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था समझी जाती है। तथा जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था होती है कि कानून को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है तो इसे ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था कहते हैं। दोनों प्रकार के लोक निर्णय के रूपों को हम स्विटजरलैण्ड में प्रचलित संवैधानिक कानूनों और साधारण कानूनों से संबंधित जनमत संग्रह की व्यवस्था से समझ सकते हैं। वहाँ सभी संवैधानिक कानूनों के विषय में यह व्यवस्था है कि कानून को जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाए जबकि साधारण कानूनों के विषय में यह व्यवस्था है कि केवल वे ही कानून, जिसके बारे में तीस हजार नागरिक अथवा आठ कैन्टनों के प्रतिनिधि चाहे तो उसे जन स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस प्रकार लोक निर्णय की व्यवस्था देश के लोगों को देश के मामले में सक्रिय रूप से भाग लेना सिखाता है। साथ ही लोक निर्णय की प्रणाली जनता के हितों के लिए एक ढाल का काम करती है। इस प्रणाली के कारण विधायक लोग भी कानून बनाते समय सजग रहते हैं। इस प्रणाली में कई दोष भी हैं। कानून निर्माण के कार्य में सभी लोगों को शामिल करना उचित नहीं है। ज्यादातर जनता लोकनिर्णय के मामले में उदासीन रहते हैं। यह केवल छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। इसके अलावे यहाँ शासन कार्य पद्धतियों के लिए अधिक खर्चा भी होती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner